न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 17.4.2023........ को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 31/20 तारीख दायर 22-12-2020 तारीख फैसला 17/4/2023

बजमवान :-

01. ग्लोबस फार्मलैण्ड प्राईवेट लिमिटेड, 206 केरटन हाउस, 2ई झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नितिन कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी तिजारा जिला अलवर

——:: प्रार्थी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. राजेश पत्नी राजाराम
03. मुकेश पत्नी शमशेर
04. कान्ता पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासीगण ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी कम्पनी की आराजी वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी के डायरेक्टर ने मिन प्रार्थी को वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकड़ा की आराजी की बावत कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है मिन प्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी की आराजी के समस्त किया कलापों की पूर्ण जानकारी है और अधिकृत प्रतिनिधि की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र अपने हस्ताक्षरों से पेश किया जा रहा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 614/8 रकबा 0.6325 है0 वाके गाम शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी बाद बंटवारा डिकी प्रार्थी कम्पनी के हक में आई है। हाल आराजी खसरा नम्बर 614/8 रकबा 0.6325 है0 वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर बाद विभाजन डिकी प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में आई है तथा प्रार्थी कम्पनी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी कम्पनी आराजी पर काबिज व दाखिल होकर उपभोग कर रही है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के नाम बाद बंटवारा डिकी हाल आराजी खसरा नम्बर आई है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 काबिज है। प्रार्थी कम्पनी की आराजी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की आराजी आपस में साथ साथ है। जिसकी आड में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 प्रार्थी कम्पनी की आराजी में बेवजह मजाहमत व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड-मजिस्ट्रेट
तिजारा (अलवर) राज0

मदाखलत उत्पन्न करते है जिस कारण प्रार्थी कम्पनी ने तहसीलदार तिजारा के यहां सीमाज्ञान कराने का आवेदन पेश किया। जिस आवेदन पर तहसीलदार तिजारा ने अपने आदेश कमांक/19 दिनांक 20.05.2019 को सीमा ज्ञान कराने के लिए हल्का पटवारी को आदेश दिया। तहसीलदार तिजारा के आदेश की पालना में दिनांक 16-07-2019 को हल्का पटवारी व कानूनगों ने मौके पर आकर आराजी का सीमाज्ञान व पैमाईश की गई व निशानात लगाये गये। जिस मौका पर्चा पर हल्का पटवारी व कानूनगो ने अपने हस्ताक्षर का मौका रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की है। जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 लडाका, गुण्डमर्द किस्म के है, जो कानून कायदे की कतई परवाह नही करते है, जो जबरन प्रार्थी कम्पनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 614/8 में घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करते है व आराजी में कब्जा करना चाहते है व पैमाईश व मौका पर्चा को मानने को तैयार नहीं है व निशानदेही को हटाने पर उतारू है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। उक्त आराजी संख्या 614/8 से अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 गैरकाबिज, गैरवास्ता है। इसलिए न्यायहित में उक्त आराजी खसरा नम्बर 614/8 रकबा 0.6325 है0 वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिए प्रार्थी कम्पनी को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (लैण्ड रेवेन्यु एक्ट) पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 16-07-2019 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 614/8 रकबा 0.6325 है0 वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 बावजुद तामील अनुपस्थित रहे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाव प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट 16-07-2019 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 614/8 रकबा 0.6325 है0 वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर की उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टपूकडा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
तिजारा (अलवर) राज०